प्राक्कथन

मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत तैयार किया गया है। यह प्रतिवेदन जम्मू तथा कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 82 (1) के अंतर्गत आनुक्रमिक जम्मू तथा कश्मीर के केंद्रशासित प्रदेश और लद्दाख के केंद्रशासित प्रदेश के उपराज्यपाल को प्रेषित की जानी है।

इस प्रतिवेदन के अध्याय I एवं II में मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए जम्मू तथा कश्मीर सरकार के वित्तीय लेखों तथा विनियोजन लेखों की जांच से क्रमश: उत्पन्न मामलों पर लेखापरीक्षा आलोचनाएँ समाविष्ट हैं।

इस प्रतिवेदन का अध्याय III में वर्तमान वर्ष के दौरान राज्य सरकार की वित्तीय रिपोर्टिंग से संबन्धित विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं तथा निदेशों के अनुपालन का विहंगावलोकन तथा स्थिति प्रदान करता है।

इस प्रतिवेदन में निष्पादन लेखापरीक्षा के निष्कर्ष तथा विभिन्न विभागों में समव्यवहारों की लेखापरीक्षा, सांविधिक निगमों, बोर्डों, सरकारी कंपनियाँ की लेखापरीक्षा पर तथा राजस्व क्षेत्र पर समाविष्ट आपत्तियाँ पृथक रूप में समाविष्ट की गई हैं।